रोजगार के लिए विदेश प्रवास

ईसीआर/ईसीएनआर का दर्जा

o उत्प्रवास अधिनियम, 1983 **यह प्रावधान करता है कि भारत का कोई भी नागरिक तब तक उत्प्रवास नहीं करेगा जब तक कि उसे उत्प्रवासी संरक्षक से उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती। इसी प्रकार, यह स्वीकार किया गया है कि कुछ देशों (वर्तमान में** 18) **में प्रवेश और विदेशी नागरिकों के रोजगार को विनियमित करने के लिए सख्त कानून नहीं हैं। वे शिकायतों के निवारण के लिए भी अवसर प्रदान नहीं करते। इसलिए इन्हें उत्प्रवास जांच आवश्यक (ईसीआर) देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अत: ईसीआर समर्थित पासपोर्ट रखने और रोजगार शुरू करने के लिए** 18 **ईसीआर देशों में से किसी में जा रहे सभी व्यक्तियों, को उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, ईसीआर पासपोर्ट धारकों को रोजगार के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए किसी भी ईसीआर देश में जाने के लिए उत्प्रवास मंजूरी की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट पर ईसीएनआर का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया जाता है और जिन्हें ईसीआर के रूप में अनुमोदित नहीं किया जाता है, वे स्वचालित रूप से ईसीएनआर श्रेणी के हैं।**

ईसीआर का उन्मूलन

o ईसीआर पासपोर्ट धारक यात्रियों को पर्यटन/यात्रा वीजा पर विदेश जाते समय होने वाली अनुचित असुविधा और उत्पीड़न से छुटकारा दिलाने के लिए, ईसीआर सस्पेंशन (ईसीआर) प्रणाली को 1 **अक्टूबर,** 2007 **से प्रभाव सहित समाप्त कर दिया गया है, (एक प्रति अभिलेखागार में उपलब्ध है)। इस प्रकार, किसी भी प्रकार के वीजा (रोजगार को छोड़कर) पर छूट दिए गई देशों में से किसी की यात्रा करने वाले ईसीआर पासपोर्ट धारक व्यक्ति को पीओई कार्यालयों से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है।**

o विदेश मंत्रालय के अंतर्गत उत्प्रवासी संरक्षकों के कार्यालय, रोजगार वीजा पर अधिसूचित 18 **ईसीआर देशों में से किसी में जा रहे ईसीआर पासपोर्ट धारक व्यक्ति को विदेशों में रोजगार करने के लिए उत्प्रवास मंजूरी प्रदान करते हैं।**

o रोजगार वीजा के अलावा किसी भी अन्य वीजा पर अधिसूचित 18 ईसीआर देशों में से किसी में जा रहे ईसीआर पासपोर्ट धारकों को, हवाई अड्डे पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है:

> **मान्य पासपोर्ट**

> **वैध यात्रा / आवास / अध्ययन वीजा आदि**

> **वापसी का टिकट**

क्रम सं.	शीर्षक	डाउनलोड
1.	मुक्त देशों की सूची	(259 केबी)
2.	ईसीआर देशों में भारतीय मिशनों/पोस्ट का विवरण	(31 केबी)
3.	रोजगार के लिए नहीं जाने वाले ईसीआर पासपोर्ट धारक	(88केबी)

भावी प्रवासियों के लिए दिशा-निर्देश

i. **अपने भर्ती एजेंट के संबंध में निश्चित हो लें। उससे उत्प्रवासी महासंरक्षक, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया अपना मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) दिखाने के लिए कहें। अगर वह पंजीकृत नहीं है या उसका पंजीकरण वैध न होकर निलंबित या रद्द है, तो उसके साथ सौदा न करे। संदेह की स्थिति में, उत्प्रवासी संरक्षक (पीओईएस) या उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) के कार्यालयों में से किसी के साथ जाँच करें। भर्ती एजेंटों (आरएएस) की सूची** www.emigrate.gov.in **पर उपलब्ध है।**

ii. **उप-एजेंटों के साथ सौदा न करें, क्योंकि उत्प्रवास अधिनियम**, 1983 **और नियमों के अंतर्गत उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है।**

iii. **विदेशों में रोजगार लेते समय, समय समय पर, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी यात्रा परामर्श के अनुसार ऐसा किया जाना चाहिए।**

iv. **भर्ती एजेंट से विदेशी नियोक्ता से प्राप्त मांग पत्र और मुख्तारनामा दिखाने के लिए कहें।**

v. **रोजगार अनुबंध में दिए गए वेतन/मजदूरी के स्तर और अन्य सेवा शर्तों का ब्यौरे को ध्यान से पढ़ें।**

vi. **प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में रोजगार अनुबंध के अंतर्गत प्रस्तावित पैंतालीस दिनों की मजदूरी के बराबर और अधिकतम बीस हजार रुपए की रकम से अधिक का भुगतान न करें और इस भुगतान की रसीद लें।**

vii. **डिमांड ड्राफ्ट या चेक या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान करें और एक रसीद प्राप्त करें। ज्यादा पैसा लेने या धोखाधड़ी की शिकायतों को संबंधित पीओई या उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीआ) के पास या ओडब्ल्यूआरसी (टोल फ्री नम्बर** 1800-11-3090) **पर या वेबसाइट** www.emiqrate.qov.in **पर दर्ज कराया जा सकता है।**

रवाना होने से पहले इनकी जाँच करें

i. सुनिश्चित करें कि आपके पास कम से कम छह महीने के लिए एक वैध पासपोर्ट है। एक वैध वीजा पर या तो मुहर लगी हो या उसे आपके पासपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि निरपवाद रूप से आपका वीजा उसी श्रेणी के लिए है जिसके लिए आपको भर्ती किया गया है। अपने पासपोर्ट और वीजा की फोटोकॉपी हमेशा अपने पास रखें ।

ii. आपके पास आपके और आपके विदेशी नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित और पंजीकृत भर्ती एजेंट द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए रोजगार अनुबंध की एक प्रति होनी चाहिए।

iii. अंग्रेजी में रोजगार अनुबंध की एक प्रति को भर्ती एजेंट द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत करने पर जोर दें।

iv. विदेश से अपने प्रेषण को भेजने में सक्षम होने के लिए किसी भारतीय बैंक में एक बचत बैंक अनिवासी विदेशी (एनआरई) खाता खोलें।

v. रोजगार के देश के स्थानीय श्रम कानूनों, काम करने और रहने की स्थिति से परिचित हो लें। आप जिस देश में जा रहे हैं वहां के भारतीय मिशन/पोस्ट का पूरा पता, फोन, फैक्स और मोबाइल तथा ईमेल अपने पास रखें।

•अपने रोजगार के देश में

i. एक निवासी परमिट या पहचान पत्र, श्रम कार्ड या इकमा प्राप्त करें।

ii. किसी भी कीमत पर अपने पासपोर्ट और भारत में आपके द्वारा हस्ताक्षर किए गए रोजगार अनुबंधकी प्रति को अलग न होने दें।

iii. किसी भी अन्य रोजगार अनुबंध या किसी कोरे कागज पर हस्ताक्षर न करें।

iv. हड़ताल में भाग न लें या आंदोलन का सहारा न लें। कई देशों में स्थानीय श्रम कानूनों के अंतर्गत ये अवैध हैं। आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल या वापस अपने देश भेजा जा सकता है।

v. अपने साथ कोई खाद्य वस्तु न ले जाएं, अगर खाद्य वस्तुओं में कोई प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया तो यह आपको जेल भेज सकता है।

vi. एक डॉक्टर के नुस्खेके बिना कोई भी दवा साथ न रखें।

vii. ऐसे सभी संपर्कों से बचें जिनका परिणाम एड्स हो सकता है - यह एक खतरनाक बीमारी है।

viii. निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट से संपर्क रखें और मजदूरी या मुआवजे का भुगतान न करने या भुगतान में देरी करने पर या किसी अन्य समस्या के बारे में भारतीय मिशन/पोस्ट में शिकायत दर्ज कराएं।

• सीमा शुल्क औपचारिकताएं

i. व्यक्तिगत सामान - सीमा शुल्क की जाँच बहुत सख्त है। कृपया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क के कर्मचारियों के साथ सहयोग करें।

ii. सुनिश्चित करें कि आप कोई भी नशीला पदार्थ या मादक पेय नहीं ले जा रहे हैं। शराब सख्त वर्जित है। इसका सेवन एक गंभीर अपराध है और गंभीर सजा हो सकती है।

iii. किसी से भी कोई बिना जांचा हुआ पार्सल स्वीकार न करें। अगर आपको किसी के लिए एक पार्सल ले जाना है, तो अच्छी तरह से जाँच करें कि इसमें शराब या नशीले पदार्थ नहीं हैं। अन्यथा, यह रोजगार के देश में पहुंचने पर कारावास सहित गंभीर कठिनाइयों का कारण बन सकता है।

- सावधानियां

i. आपको अपने पासपोर्ट के सभी पृष्ठों की एक फोटोकॉपी बनाकर साथ रखनी चाहिए। अपने पासपोर्ट या इसकी फोटोकॉपी को न खोएं।

ii. अगर संयोग से आप अपना पासपोर्ट खो देते हैं, तो उनका विवरण अर्थात् पासपोर्ट नंबर, जारी करने की तारीख और स्थान, आपका नाम और रोजगार के देश में अपने प्रवेश की तिथि देते हुए नजदीकी भारतीय मिशन/पोस्ट को तुरंत सूचित करें। आप ये जानकारियां केवल तभी दे सकते हैं, जब आपने अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी रखी हो।

iii. रोजगार अनुबंध की अपनी प्रति को न खोएं। फोटोकॉपी बनाएं और उन्हें हमेशा अपने साथ रखें।

iv क) भारत छोड़ते समय आपके पास अपने विदेशी नियोक्ता का पूरा नाम, पता, टेलीफोन/फैक्स नंबर होना चाहिए।

ख) कृपया सुनिश्चित करें कि आप हमेशा अपने साथ 'उत्प्रवास कार्ड' रखते हैं और इसे पासपोर्ट के साथ न रखें।

iv. यदि आपको अपने विदेशी नियोक्ता का पता लगाने में कठिनाई होती है, तो तुरंत नजदीकी भारतीय मिशन/पोस्ट से संपर्क करें।

v. प्रायोजक कंपनी/ संस्थान/व्यक्ति के अलावा किसी किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान से दूसरे अस्थायी या स्थायी रोजगार को स्वीकार न करें। अपने मूल प्रायोजक के अलावा अन्य व्यक्तियों के साथ रोजगार लेना सख्त वर्जित है और गंभीर सजा हो सकती है।

vi. वीजा या रोजगार अनुबंध समाप्त होने से पहले, उनका नवीकरण कराएं। अगर आप विदेश में अपने रोजगार अनुबंध के कार्यकाल के दौरान कुछ समय के लिए भारत लौट रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वीजा की वैधता अवधि आपके रोजगार के देश में लौटने से पहले समाप्त नहीं होती है।

vii. यह भी सुनिश्चित करें कि आपका पासपोर्ट वैध है। इसके समाप्त होने से कम से कम दो महीने पहले, संबंधित भारतीय मिशन/विदेश स्थित पोस्ट या भारत में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ)से इसे दोबारा सत्यापित कराएं।

• ऐसे व्यक्ति जिनके पासपोर्ट पर ईसीआर मुहर नहीं लगाई जाती [विदेश मंत्रालय के (सीपीवी प्रभाग) - के दिशानिर्देशों के अनुसार]

i. राजनयिक/ सरकारी पासपोर्ट के सभी धारक,

ii. सभी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी।

iii. सभी आयकर दाता (कृषि आयकर आदाता सहित) अपनी व्यक्तिगत क्षमता में।

iv. एम.बी.बी.एस. की डिग्री या आयुर्वेद या होम्योपैथी में डिग्री धारक डॉक्टर, मान्यता प्राप्त पत्रकार; इंजीनियर; चार्टर्ड अकाउंटेंट; लेक्चरर; शिक्षक; वैज्ञानिक; अधिवक्ता आदि जैसे सभी पेशेवर डिग्री धारक;

v. ऊपर (i) और (iv) में सूचीबद्ध व्यक्तियों की श्रेणी के जीवन साथी और आश्रित बच्चे,

vi. मैट्रिक और ऊपर की शैक्षिक योग्यता वाले सभी व्यक्ति।

vii. नाविक जो सीडीसी या सागर कैडेटों के कब्जे में हैं, डेस्क कैडेट (क) जिन्होंने टी.एस. चाणक्य, मुंबई से समुद्री विज्ञान पाठ्यक्रम में तीन वर्षीय बीएससी की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है और (ख), जिन्होंने टी.एस.चाणक्य, टी.एस.रहमान, टी.एस. जवाहर, एमटीआई (एससीआई) और एनआईपीएम, चेन्नई जैसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी में कम से कम तीन महीने का पूर्व समुद्र प्रशिक्षण प्राप्त किया है, शिपिंग मास्टर, मुंबई/कोलकाता/चेन्नई द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने के बाद।

viii. ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वीजा जैसे स्थायी आव्रजन वीजा, धारक व्यक्ति।

ix. व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय परिषद (एनसीवीटी) या व्यावसायिक प्रशिक्षण के राज्य परिषद (एससीवीटी) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से दो साल का डिप्लोमा या केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों से तीन साल का डिप्लोमा/समकक्ष डिग्री प्राप्त व्यक्ति।

x. भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाली नर्सों को।

xi. 50 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी व्यक्तियों को।

xii. तीन साल से अधिक से विदेशों में रह रहे सभी लोगों और उनके जीवन साथी को (तीन वर्ष की अवधि लगातार या खंडों में हो सकता है)।

xiii. 18 साल तक की आयु के सभी बच्चों को। (18 साल की उम्र में फिर से जारी करने के समय, ईसीआर मुद्रांकन किया जाएगा, यदि लागू हो)।

• 18 देशों की सूची जहां उत्प्रवास जांच की आवश्यकता है:

(i) अफगानिस्तान,

(ii) बहरीन,

(iii) इंडोनेशिया,

(iv) इराक,

(v) जॉर्डन,

(vi) सऊदी अरब के राज्य,

(vii) कुवैत,

(viii) लेबनान,

(ix) लीबिया,

(x) मलेशिया,

(xi) ओमान,

(xii) कतर,

(xiii) दक्षिण सूडान,

(xiv) सूडान,

(XV) सीरिया,

(xvi) थाईलैंड,

(xvii) संयुक्त अरब अमीरात, और

(xviii) यमन।